रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062023-246879
CG-DL-E-30062023-246879

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2697] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2023/आषाढ़ 7, 1945
No. 2697] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2023/ASHADHA 7, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2023

का.आ. 2819(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संख्यांक का.आ. सं. 421 (अ), तारीख 9 फरवरी, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना जारी की थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) में उपबंध है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की राय से यह अधिसूचना संख्यांक का.आ. 421(अ) तारीख 9 फरवरी, 2015 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में

प्रकाशित, संख्यांक का.आ. 421(अ) तारीख 9 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

(i) पैरा 2 में, उपपैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा: अर्थात्:-

"(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, इस संशोधित अधिसूचना के प्रकाशन से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना के अनुसार एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी'.

(ii) पैराग्राफ 3 के, उपपैरा (8) में, "और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) पैरा 5 में, उपपैरा (1) (ii) में, "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार में राजस्व विभाग" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 25/18/2012-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 421(अ), तारीख 9 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2023

S.O. 2819(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the power conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 issued in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 421(E), dated the 9th February, 2015;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government as of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 421(E), dated the 9th February, 2015;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 421(E), dated the 9th February, 2015, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 2, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) The State Government shall, prepare a Zonal Master Plan, for the purposes of the Eco-sensitive Zone, in consultation with local people and in accordance with this notification, within a period of two years from the date of publication of this amendment notification.";

(ii) in paragraph 3, in sub-paragraph (8), the words, "and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change", shall be omitted;

(iii) in paragraph 5, in sub-paragraph (1), in clause (ii), for the words "Ministry of Environment, Forests and Climate Change", the words "Revenue Department in the State Government" shall be substituted.

[F. No. 25/18/2012-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 421(E), dated the 9th February, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA